an>

Title: Issue regarding misuse of Goonda Act in Uttar Pradesh.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की एक बहुत ही गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। …(व्यवधान) मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत बांदा एवं चित्रकूट में, विशेषकर चित्रकूट जनपद में ग्रामीणों और विशेषकर किसानों पर फर्जी ढंग से गुंडा एक्ट लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। …(व्यवधान) पूर्व में चुनाव के समय जिस तरह से धारा 107-117 में लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया जाता था, आज उस तरह से हर गांव में दर्जनों लोगों और किसी-किसी गांव में पचासों लोगों पर गुंडा एक्ट लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। …(व्यवधान) इससे ग्रामीणों एवं छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है। …(व्यवधान) जिन पर एक आध भी मुकदमे नहीं मिलते, उन पर नये फर्जी मुकदमे लगाकर गुंडा एक्ट लगा दिया जाता है। …(व्यवधान) स्थानीय प्रशासन राज्य सत्ता पार्टी के नेताओं के इशारे पर विरोधियों पर भय बना रहे हैं, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। …(व्यवधान) सैंकड़ों लोगों को जिलाबदर कर दिया गया है। …(व्यवधान) लोग बहुत ही परेशान हैं। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्य सरकार से वार्ता करके, दबाव बनाकर ऐसे फर्जी मुकदमों की समीक्षा की जाये। …(व्यवधान) ऐसे फर्जी गुंडा एक्ट की समीक्षा करके उसे खत्म किया जाये और भविष्य में ऐसा न हो, यह सुनिश्चित करने की कृपा करें। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :

श्री सी.पी. जोशी और

श्री सुधीर गुप्ता को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

एडवोकेट जोएस जॉर्ज।

â€¦(व्यवधान)